



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2009/फाल्गुन 14, 1930

No. 133]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2009/PHALGUNA 14, 1930

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2009

सा.का.नि. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ग और धारा 28घ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उप-धारा (2) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 का संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 में,—

(i) नियम छ में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहां बोर्ड को संस्थान के किसी सदस्य से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है वहां बोर्ड संस्थान से उस सदस्य से सूचना अभिप्राप्त करने का अनुरोध कर सकेगा और इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती वहां बोर्ड सूचना अभिप्राप्त करने में सहायता के लिए केंद्रीय सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध कर सकेगा।”

(ii) नियम 8 के उप-नियम 8 में “बोर्ड” शब्दों के पश्चात् “केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों क अलावा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“9. यात्रा एवं भत्ते.—(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य दौरे के दौरान निम्नलिखित दरों से यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे :

(क) वायुयान द्वारा :

(i) अध्यक्ष - बिजनेस क्लास द्वारा

(ii) सदस्य - इकोनॉमिकी क्लास द्वारा

(ख) रेल द्वारा - वातानुकूलित प्रथम वर्ग

(ग) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक हैं उसी वर्ग द्वारा यात्रा के हकदार होंगे जो उन्हें उनके पदीय हैसियत में अनुज्ञेय है।

(2) भत्ते.—(i) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं और जिनका निवास स्थान संस्थान के मुख्यालय से भिन्न है, बैठक में उपस्थित होने के लिए अधिकतम छह हजार रुपए प्रतिदिन के अधीन रहते हुए ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(ii) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित अनुसार दैनिक भत्ते के हकदार होंगे :

'क' वर्ग शहर : अन्य शहर
एक हजार रुपए प्रतिदिन : आठ सौ रुपए प्रतिदिन

(iii) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक है उसी वर्ग द्वारा यात्रा के हकदार होंगे जो उन्हें उनके पदीय हैसियत में अनुज्ञेय है।

(iv) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य जिनका निवास स्थल और बैठक का स्थल एक ही है, बोर्ड के कृत्यों के संबंध में की गई उनकी स्थानीय यात्रा के संबंध में स्थानीय वाहन उपलब्ध कराया जाएगा या वातानुकूलित कैब सहित टैक्सी द्वारा यात्रा के लिए उपगत वास्तविक वाहन व्यय और यदि वह अपनी निजी कार का उपयोग करते हैं तो दस रुपए प्रति किलोमीटर की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(v) नियम 6 के अधीन बोर्ड द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ यदि वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं तो इकोनोमी क्लास और यदि रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो वातानुकूलित प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे और उप-नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भत्ते के हकदार होंगे और उन्हें निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर सलाह के लिए फीस भी संदत की जा सकेगी जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. 12/50/2006-आईजीसी/पी आई]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 735(अ) तारीख 27 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2009

G.S.R. 152 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 29A of, read with Section 28C and sub-section (1) of Section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby amend the Chartered Accountants Procedures of Meeting of Quality Review Board and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006,

(i) In rule 6 after clause (c) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where the Board does not receive the information called for by it from any Member of the Institute, the Board may request the Institute to obtain the information from the Member and furnish the same to the Board:

Provided further that where the Board does not receive the information called for by it from any company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Board may request the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs for assistance in obtaining the information."

(ii) In rule 8, in sub-rule (1) after the word "Board" the words "other than the Members nominated by the Central Government" shall be inserted;

(iii) for rule 9 the following shall be substituted, namely:—

"9. Travelling and other allowances.—(1) The Chairperson and other Members of the Board, while on tour, shall be entitled to travelling and daily allowances at the rates as follows:

(A) By Air

(i) Chairperson - By Business Class

(ii) Members - By Economy Class

(B) By Train - AC First Class

(C) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to travel by the class as admissible to them in their official capacity.

(2) **Allowances.**—(i) The Chairperson and other Members of the Board who are not Government servants and whose place of residence is different from the headquarters of the Institute shall be entitled for reimbursement of lodging expenses subject to maximum of rupees six thousand per day for attending the meeting.

(ii) The Chairperson and other Members of the Board shall be entitled for daily allowance as under:

'A' class Cities : Others Cities

Rupees one thousand per day : Rupees eight hundred per day

(iii) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to daily allowances as admissible to them in their official capacity.

(iv) The Chairperson and other Members of the Board whose place of residence is the same as

the venue of the meeting, for local travels undertaken in connection with the Board functions, shall be provided local conveyance or shall be reimbursed the actual conveyance expenses incurred for travel by taxi including air-conditioned cab and in case they use their own car, rupees ten per kilometer.

(v) The experts invited by the Board under rule 6, shall be entitled to travel by economy class if travelling by air and by AC first class if travelling by train and shall be entitled to allowances as specified under item (ii) of sub-

rule (2) and they may also be paid fees as may be determined by the Chairperson which shall not exceed rupees five thousand, for advice on each matter referred to them.”

[F. No. 12/50/2006-IGC/PI]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.5.R.735(E), dated 27th November, 2006.